

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम)

10-बी, संस्थागत क्षेत्र, झालाना बूंगरी, जयपुर-302004
फोन: नं० 0141-2709827 / 2701349 / 2710072 फेक्स नं०-91-0141-2710072

क्रमांक फा.8पी()राइसेम/प्रशिक्षण/2017-18/6666

दिनांक : 04.10.17

आदेश

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों/प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 03.10.17 एवं 04.10.17 को "Recovery" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थियों को आज दिनांक 04.10.17 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति देवें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	पदस्थापन कार्यालय	उपस्थिति दिनांक
1.	श्री महेन्द्र मौर्य	सुपरवाइजर	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर	03.10.17
2.	श्री के.सी. शर्मा	सुपरवाइजर	नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा परबतसर	03.10.17
3.	श्री प्रहलाद राम भाटी	सहा.अधि.अधिकारी	नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नागौर	03.10.17
4.	श्री करण सिंह	बैंकिंग सहायक	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बालोतरा	03.10.17
5.	श्री रामनिवास पटेल	बैंकिंग सहायक	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बालोतरा	03.10.17
6.	श्री उकाराम परिहार	सुपरवाइजर	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बालोतरा	03.10.17
7.	श्री चन्द्रप्रकाश	शाखा सचिव	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बालोतरा	03.10.17
8.	श्री सिया राम	सहा.अधि.अधिकारी	नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा मेड़ता	03.10.17
9.	श्री देव करण घटियाला	सहा.अधि.अधिकारी	नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा रियान	03.10.17
10.	श्री राम निवास	सहा.अधि.अधिकारी	नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर	03.10.17
11.	श्री मूल चन्द्र गुर्जर	ऋण पर्यवेक्षक	नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा गोदान	03.10.17
12.	श्री मईनूदीन	ऋण पर्यवेक्षक	नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा सांजू	03.10.17
13.	श्री योगेश शर्मा	क्षेत्रीय अधिकारी	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक सीकर	03.10.17
14.	श्री भोमा राम	सुपरवाइजर	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक सीकर	03.10.17



(सोहनलाल लखानी)
निदेशक

क्रमांक फा.8पी()राइसेम/प्रशिक्षण/2017-18/6667-87

दिनांक : 04.10.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।
02. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.स.वि.), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।
03. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
04. समस्त प्रतिभागीगण श्री ।
05. अति. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/लेखा शाखा/स्टोर शाखा/छात्रावास अधीक्षक ।
06. गार्ड पत्रावली ।



निदेशक